

## प्रारूप-2

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुल्कन्

दुरभाष एवं फैसलाम-01592-235475/235474 E-mail Id.: deoolejin@gmail.com

कमाक - जिसिअ / पार / झु / मान्यता / 2012 / 971  
प्रबन्धक

दिनांक:- 30.10.11

**हेलोर पा स्कूल,  
गुडागोड़पी**

विधय - नि. शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रधान जन के लिए नि. शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उा नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया.

19.10.11

आपके दिनांक:- 23 फरवरी 2012 के आदेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चात्यर्ती (माध्यम) को दिनांक:- सब्र 2012 से दिनांक:- 31/31/2 सक तीन वष की अवधि के लिए कक्षा । से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हू। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है -

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. गिगल्ट नि. शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और नि. शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. गिगल्ट कक्षा । में उस कक्षा के बालकों की सख्तगा के 25 प्रतिशत तक आस-एडॉइस के कमजोर वर्गों और अलाप पद समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि. शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिष्ठृतियों प्राप्त करने के लिए विधालय एक पथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विधालय किसी कौपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म रशान धर्म जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती आहा गया है।

7. गिगल्ट सुविधिगत करेगा कि -

- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुर्त्तीर्ण नहीं किया जायेगा। या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी भी बालकों गारीरिक दण्ड या मानसिक उपीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई गोड़ परिक्षा उत्तीर्ण करने वाली अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशावत्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- (viii) अध्यापक रवय को किसी निजी अध्यापन किया कलापो में नियोजित नहीं करें।

*[Signature]*

8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विधालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकधित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियमों को बनार रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
  - विधालय परिसर का क्षेत्र
  - रुक्त निर्मित शैक्षणिक संग्रहालय
  - कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
  - कक्षा कमरों की संख्या
  - प्रधानाध्यापक- सह-कार्यालय- सह-भड़ार कक्ष
  - बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय
  - पेयजल सुविधा
  - मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
  - बाधा रहित पहुंच
 अध्यापक पदन सामग्री/ कीड़ा खेलकुद उकस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं घलाई जायेगी।
12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा घलाया जा रहा है।
14. विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा रहा है।
15. विधालय के लेखाओं के चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिए तथा उधित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुञ्जुनू को भेजी जानी चाहीए।
16. आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुञ्जुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के ज्ञात अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. सलान उपाध्य- ॥। के अनुसार भन्य कोई शर्त।

20. R.T.E. 2009 के लाहौर पापदण्डो की छठी अवश्यकता, भवदीय,  
वहां आपकी मान्यता २०१८ वाट ही जायेगी। |

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, झुञ्जुनू